कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक/ 65 /वाचक/2020

सूरजपुर, दिनांक 26/04/2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/61/ वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14.4.2020 के माध्यम से जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 की प्रभावशीलता दिनांक 03/05/2020 तक के लिए बढ़ाया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–DM&II(A) दिनांक 24/4/2020 के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति के परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है–

2. इस आदेश का तात्पर्य यह है कि –

(a.) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक रहेगी।

(b.) शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक होगी। किन्तु मार्केट की दुकानें/ मार्केट काम्प्लेक्स एवं शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, हॉटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

3. स्पष्टीकरणः– ई कॉमर्स कम्पनियों के लिए जारी अनुमति केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए रहेगी।

4. शराब/मदिरा एवं अन्य सामानों के बिकी कोविड–19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के निर्दिष्ट अनुसार निषेध रहेंगी।

5. कार्यालयीन आदेश कमांक 64/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 23/04/2020 के अनुसार छूट प्राप्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समयसीमा, जारी आदेशानुसार पूर्ववत् ही रहेगी।

जिले के हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में पूर्व में सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

पृष्ठांकन कमांक/ 65A /वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 26.04.2020

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर/भैयाथान/प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. उप संचालक, जनसंपर्क सूरजपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार, जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner